



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 313]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 6, 2019/भाद्र 15, 1941

No. 313]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 6, 2019/BHADRA 15, 1941

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

(राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 अगस्त, 2019

**फा. सं. एल/28/09/एनएएलएसए.**—केंद्रीय प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 (1987 का 39) की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ – (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) संशोधन विनियम, 2019 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (लोक अदालत) विनियम, 2009 के विनियम 6क में, “न्यायिक अधिकारियों” शब्द के स्थान पर “पीठासीन न्यायाधीशों” शब्द रखे जाएंगे ।

आलोक अग्रवाल, सदस्य-सचिव

[विज्ञापन-III/4/असा./200/19]

**टिप्पण :** मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. एल/28/09 एनएएलएसए तारीख 14 अक्तूबर, 2009 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और अधिसूचना सं. एल/28/09 एनएएलएसए तारीख 22 अक्तूबर, 2018 द्वारा अंतिम बार संशोधित किए गए थे ।

**MINISTRY OF LAW AND JUSTICE****(Department of Justice)****(NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 28th August, 2019

**F. No. L/28/09/NALSA.**—In exercise of the powers conferred by section 29 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (39 of 1987), the Central Authority hereby makes the following regulations further to amend the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Regulations, 2009, namely: -

1. Short title and commencement. - (1) These regulations may be called the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the National Legal Services Authority (Lok Adalat) Regulations, 2009, in regulation 6A, for the words, “judicial officers”, the words “presiding judges” shall be substituted.

ALOK AGARWAL, Member-Secy.

[ADVT.-III/4/Exty./200/19]

**Note :** The principal regulations were published in the Gazette of India Extraordinary, Part-III, Section 4, vide notification No. L/28/09/NALSA dated the 14th October, 2009 were last amended vide notification No. L/28/09/NALSA dated the 22nd October, 2018.